

काशीलय विला पंचायत, आजमगढ़

परमित संख्या: ५६ /मानविक/विवेद/2022-23

दिनांक /३ अक्टूबर, 2022

मी नुस्खी कालोज औफ फार्मसी  
परमानन्द,  
श्रीगंगी सुगन देवी  
निवास स्थान—पलहनी,  
तहसील—सादर,  
पानपढ़—आजमगढ़।

अनुद्देश्य

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 के ताप संलग्न मानविक में प्रदर्शित भूमि गोपा—बलानमपुर, परमानन्द—गिरामाचाद, विकासस्थान—पलहनी, तहसील—सादर, जनपद—आजमगढ़ के गांडा संख्या— 253, 264 एवं 265 पर 5428.28 वर्ग मीटर अकृषक भूमि उपा गांडा संख्या— 249 एवं 253 पर 2623.00 वर्ग मीटर अकृषक भूमि इस प्रकार श्रीमान रघु विलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुल अकृषक भूमि 8081.28 वर्ग मीटर पर 30 वर्षों की लिए 3500.00 प्रति वार्षिक दरों पर यही भूमि पर उपर विद्यालय निर्मित है। आजमगढ़ तहसील—हाफिजगुर घीराहा गांडा से

पश्चिम दिशा में लगभग 600 मीटर यी दूरी पर साम—बलानमपुर, परमानन्द—गिरामाचाद, विकास स्थान—पलहनी, तहसील—सादर, पानपढ़—आजमगढ़ में निर्मित महान भी कुरकी कालोज औफ फार्मसी के कुल आकृषकता की जगत 3668.52 वर्ग मीटर पर प्रस्तावित मानविक दीर्घीकृति को दृष्टिकोण रखते हुए सचिक विचारोपनाना ५० अधिक गोपीदार द्वारा दिनांक /१०९—२०२२ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

५० अधिक गोपीदार की स्वीकृति दिनांक /२५९—२०२२ की अनुकूल नामविक विला पंचायत आजमगढ़ ने यहां निर्माण उपरिक्षित इसाहाचाद वानिवार 12 मई, 2018 मार्ग—३ के स्थान “ध” विला पंचायत के उपरान्धी की अधीन इस निर्विलिक्षित उपरान्धी/प्रतिबंध वालिका द्वारा प्रस्तुत अनिवेद्य कार्यों के अधिक गतिशील है। यह विला पंचायत द्वारा यी गयी स्वीकृति स्वयं ने निरत्त नामी जारीयें। निर्माण व्यवस्था विला जा सकता है अथवा सील विला जा सकता है।

१. अनुद्देश्य पत्र जारी करने के उपरान्धी की अधीन इस निर्विलिक्षित उपरान्धी/प्रतिबंध वालिका द्वारा जारी है।
२. मानविक दीर्घीकृति के उपरान्धी की अधीन इस निर्माण, अनिवार्य विभाग, प्रदूषण विभाग, पश्चिम विभाग, वानिक्य कर विभाग, विला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/आनामिति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्धी की कार्यस्थल पर निर्माण वानिक्य के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं तक आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख—रेख में कराना होगा।
३. प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित बदल निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण क्रमिति से छोड़ दी जानी वाली कामयुक्त भाग पर एकलित/अतिकरण नहीं किया जायेगा।
४. प्रतिबंध यह रहेगा कि आपेक्षक द्वारा सीलरेज ट्रॉटमेट प्लान्ट रक्षाप्रति कार जलामल/सीलरेज/उत्तराधिकार पदार्थ का विलालय पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुसर सुनिश्चित विला जारी।
५. प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य भाग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिशिवित दूरी के सामन्य में रोड जाइन लैन बनायी जानी विलालय एवं सिंचाई विभाग के नियम विवाहत लगू रहें।
६. प्रतिबंध यह रहेगा कि विवाहत बदल निर्माण कार्य भागी भागी विवाहत के अनुसार कुल कार्य एवं ३668.52 वर्ग मीटर औपेल एवं ८२१७.०२ वर्ग मीटर से दो विभाग कार्य प्रतिवित होगा।
७. प्रतिबंध यह रहेगा कि कार से कार उपर या द्वारा आवश्यक अनिवार्य कार से कराना होगा।

- अनुसार ही जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्थानी/सम्पा कर होगा।
8. प्रतिपथ यह होगा कि भवन निर्माण अनिवार्य/सुखा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राक्षिपणी (अनिवार्य रूप से) को नवाचारी गुण्य अनिवार्य हाला अनावशित प्रमाण—पत्र के अनुसार कराए जायेगा।
  9. प्रतिपथ यह होगा कि समय—समय पर भासन स्थान निर्गत भासनादेश भाष्य होगा।
  10. प्रतिपथ यह होगा कि भासन भासन कराए गुण्य अनिवार्य कराए जायेगा।
  11. प्रतिपथ यह होगा कि ऐप्पाटर हाईस्टेंट पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
  12. भवन निर्माण में क्षम विभाग को प्राक्षिपणी का भासन करते हुए आवश्यक खेज रूप का भुगतान कर विभाग को भवन स्थानी/सम्पा द्वारा करना होगा।
  13. स्वीकृति मानवित्र में इन्सेप्टिक टाइप में कम्पोक्स दूरी  $3.70+(0.305\text{मीटर})$  प्रत्येक अलिंगित 33000 पौल्टेज एवं  $1.80+(0.305\text{मीटर})$  प्रत्येक 33000 पौल्टेज पर स्वीकृति दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
  14. राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित रथल की दूरी नार्ग के मध्य से 07.10 मीटर और समाझी नार्ग के अंदर गतिशील से 10 मीटर होना आवश्यक है।
  15. विद्यासाय भवन में किसी शीघ्रताप ली गई की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
  16. शीघ्रताप का निर्माण फलस टाइप का होना चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक पर लोक पिट की सम्पत्ति अनिवार्य होगी।
  17. भवन की कुर्सी भवन के निकट गती, सड़क आदि से या खुले रथान की सराह से कन से कम 30 सेमी रखी जाय। यह गती आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका अधिक भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  18. निर्माण वर्षी यही स्वीकृति हेतु निर्गत अनुसार के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवश्यक/सम्पा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यात्रा अवधि द्वारा पुनः दिवार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  19. उपरोक्त स्वीकृति मानवित्र में अभ्यास निर्माण में किसी भी प्रकार का धरितरीन एवं परिवर्तन विना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
  20. किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के सम्बन्ध में यह जिला पंचायत, आजमगढ़ इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं जल न्यायालय, आजमगढ़ होगा।
  21. स्वीकृत मानवित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वागित्र अधिसूचक के रूप में भाष्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रधुक्त होगा।
  22. अविष्य में अलिंगित कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानवित्र स्वीकृत गताना अनिवार्य होगा।
  23. स्वीकृत मानवित्र के अनुसार कुल उपलब्ध अकृषक भूमि 8051.28 वर्ग मीटर के तापेक्ष मूल आवश्यकन 1834.26 वर्ग मीटर अर्थात् कुल क्षेत्रफल का 22.78 प्रतिशत एवं कुल आवश्यकिता के 3668.82 वर्ग मीटर है। इस प्रकार स्वीकृत मानवित्र का एकलउत्तरार्थ 0.45 है, जो कि जिला पंचायत आजमगढ़ भवन मानवित्र निर्माण उपयोगिता की निर्धारित प्रस्तारों में चलतेहित नियमों के अनुसार है।
  24. लेवर सेत का भुगतान एवं औपचारिकताएं अन विभाग के नियमों के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेदारी एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा अन्यथा की रिक्ति में विना कारण काटाएं नहीं की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  25. स्वीकृत मानवित्र में प्रदत्ति एरिक लार्जनिक उपयोग की भूमि जैसी रकमार्ग, नाली, तामाय, मरघट, चाशगाह व नवीन परती भूमि, आजमगढ़ की महायोजना से आवश्यकित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंगारै विभाग, विहुत विभाग, अनिवार्य विभाग, बन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृति मानवित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
  26. आजमगढ़ मानवित्र 03 प्रतिशों में।

  
ज्योति पेटल  
जिला पंचायत, आजमगढ़

  
अशोक पुरुष अधिकारी  
जिला पंचायत, आजमगढ़